

8
25

पत्रावली पेशा हुई। मूल वाद-पत्र
withdraw खारिज होने पर उक्त
प्रा०-पत्र 212 आर.टी.ए. इसी स्तर
पर withdraw खारिज की जाती
है। पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा
निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल
सुमार नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

+



Kjander
Pind
C. M. H. S.
P. S.